

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :::: बंशीधर योगी, R.T.S.  
मिसल नं. :::: 27 / 2020

सरकार बनाम गौरीशंकर पुत्र जालुराम, जाति-माली,  
निवासी- ढंढार

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 08.07.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित, गैर सायल की ओर से उसका पुत्र जगदीश उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल गौरीशंकर पुत्र जालुराम, जाति-माली, निवासी-ढंढार द्वारा रोही मौजा ढंढार की राजकीय भूमि ख.नं. 273 रकबा 0.66 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.01 है० पर तार बाड़ की एवं चरी, बाजरी बौ कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि जिसमें सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया। चूंकि रास्ते का सीमाज्ञान कर ही पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई है। अतः गैर सायल की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पृष्ठ सं. 4 के पृष्ठ सं. 11 पर  
वर्ष 2020-21 में रुपये 5/- कायम कि।

राजस्व लेखाकार

(बंशीधर योगी )  
तहसीलदार, सूरजगढ़